भारत सरकार

परिणाम बजट

2010 - 2011

जल संसाधन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	पहलू	पृष्ठ
	कार्यकारी सार	**1-3**
I	**मंत्रालय/विभाग, संगठनात्मक ढांचे के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा**	**4-9**
II	**परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण, वार्षिक योजना परिणाम 2010-2011**	**10-19**
III	**सुधारात्मक उपाय और नीति उपक्रम**	**20**
IV	**पिछले निष्पादन की समीक्षा**	**21**
V	**समग्र वित्तीय समीक्षा**	
	वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय का रूझान	**22**
	बजट एक झलक	**22-29**
	उपयोगिता प्रमाणपत्र	**30**
VI	**सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	
	सांविधिक निकाय:	
6.1.1-6.1.7	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	**31-32**
6.2.1	रावी और व्यास जल अधिकरण	**32**
6.3.1	कावेरी जल विवाद अधिकरण	**32-33**
641.6.4.4	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	**33**
	स्वायत्त निकाय (सोसाइटीज):	
6.5.1-6.5.6	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	**34-35**
6.6.1-6.6.6	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	**35-37**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

6.7.1-6.7.7	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	**37-40**
6.8.1-6.8.5	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	**40-41**

<u>अनुलग्नक</u>

I	2008-09 के दौरान कार्य निष्पादन	**42-49**
II	2009-10 के दौरान कार्य निष्पादन	**60**
III	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना	**61-62**
IV	XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	**63**

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणामी बजट 2010-2011 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2008-09 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों वित्त वर्ष 2009-1020 के प्रथम 9 माह तथा 2010-11के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं:-

अध्याय	शामिल पहलू
I	यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय जल को एक राष्ट्रीय संसाधन के समग्र विकास,संरक्षण और प्रबंधन, इस संबंध में विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा सचिव और एक विशेष सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय का संगठन प्रशासन स्कन्ध,समन्वय स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और नौ तकनीकी स्कन्धों के अंतर्गत किया जाता है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय, सात सांविधिक निकाय, दो स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । XIवीं पंचवर्षीय योजना की 58 स्कीमों की तुलना में ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अधीन इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित/मानीटर की जा रही गतिविधियों को 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 05 राज्य क्षेत्र स्कीमों (सी ए डी एवं डब्ल्यू एम की एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम 2008-09 से राज्य क्षेत्र में डाल दी गई है) में मिला दिया गया है ।
II	इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन 2010-2011 के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है । इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय बजट 2010-2011 और परिणामी बजट 2010-2011 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है। इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (अंतरमध्यस्थ, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।
III	इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया बेहद विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और निर्णायक परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।
IV	इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, 2008-09 के दौरान तथा 2009-10 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।
V	इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में

बकाया उपयोगी प्रमाणपत्रों और राज्यों और क्रियान्वयन अभिकरणों के पास खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिकि/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

2. मंत्रालय ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई और इसे बाद में संशोधित कर दिया गया । संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को इसकी 5वीं बैठक में अपनाई गई ।

3. जल संसाधन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्द्रों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियां, अभिज्ञात परियोजनाओं, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं और बाढ़ पूर्वानुमान की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है । आयोग मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरी के एक भाग के रूप में सी डब्ल्यू सी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।

4. जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में भू जल प्रबंधन अध्ययन, भूजल प्रबोधन, भूभौतिकी अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन, दूर संवेदी अध्ययन, जल गुणवत्ता विश्लेषण, अल्पकालिक जल आपूर्ति, अन्वेषण, भूजल विकास का विनियमन, जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है । भूजल प्रबंधन और विनियमन की स्कीम के तहत वर्ष 2009-10(31 दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान मुख्य उपलब्धियों में भूजल प्रबंधन अध्ययन के अंतर्गत मानसून पूर्व की अवधि में 1.52 लाख वर्ग किमी.82843 वर्ग कि. मी. तथा मानसून पश्चात् की अवधि में का क्षेत्र, भूभौतिकी एवं दूरसंवेदी अध्ययनों की सहायता से वैज्ञानिक भू जल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत 495 कुओं की खुदाई, 15640 भूजल प्रेक्षण कुओं में भूजल का प्रबोधन, रक्षा और अन्य विभागों के लिए 80 जल आपूर्ति अन्वेषण तथा विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना शामिल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक में "भूजल में कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन" संबंधी 5 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं। 7 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, और मध्य प्रदेश में 1798.71 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है

जिसमें से सब्सिडी घटक 1499.27 करोड़ रूपए है । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य 7 राज्यों में अतिदोहित/गंभीर/अर्द्धगंभीर क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का सवर्द्धन करना है ।

5. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ आवधिक व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में वित्तीय प्रगति की मानीटरी की जाती है ।

6. मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आदि जैसे संगठन अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं ।

7. सूचना, शिक्षा तथा संचार स्कीम के अंतर्गत, समूह तौर पर जल संसाधनों के अधिकतम विकास तथा प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्ष्य, समूहों के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से मंत्रालय और इसके संगठनों में जन जागरूकता कार्यकलाप किए जाते हैं। समिति, कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा समय पर सुधारात्मक उपाय और सुधार संबंधी कार्रवाई करने के लिए समय समय पर मीडिया योजना की समीक्षा करती है ।

8. मंत्रालय तथा इसके संबंधित संगठनों द्वारा जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है । वित्तीय प्रगति की निगरानी मासिक तथा वास्तविक प्रगति की निगरानी तिमाही की जाती है । इस संबंध में, प्रगति के बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिए मंत्रालय के अधीन संबंधित संगठन संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्धि की तुलना में वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों के ब्यौरों को प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन कर रहे हैं।

अध्याय -1

मंत्रालय/विभाग, संगठनात्मक ढांचे के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन मंत्रालय, जल के विभिन्न उपयोग में समन्वय स्थापित करने के साथ ही समग्र राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के पूर्ण विकास, संरक्षण और प्रबंधन करने तथा इससे संबंधित संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.2 **इस मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य नीचे दिए गए अनुसार हैं;**

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचनाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा उपयोग ; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजन के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय एवं जलाशय अवसादन का प्रबंधन; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधी; जल जमाव और समुद्र कटावरोधी समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान ।
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून ।
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थाई सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाह्य सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.3 मंत्रालय की उपरोक्त नीतियां और कार्यक्रम मंत्रालय के निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा पूरे किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाए (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.4 यह मंत्रालय 2009-10 के दौरान 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 5 राज्य क्षेत्र स्कीमो का कार्यान्वयन/निगरानी कर रहा है । नीचे केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया गया है :

1.4.1 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आँकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं। मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों की बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

1.4.2 जल विज्ञान II परियोजना : जल विज्ञान II परियोजना, चरण-I (एच पी-I) का उद्देश्य जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एच आई एस) के विकास हेतु संस्थानिक व्यवस्थाएँ, तकनीकी योग्यताएँ तथा सुविधाओं में सुधार करना था। एच पी-I, के अनुवर्तन स्वरूप जल संसाधनों की आयोजना तथा प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक तथा निजी सभी संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा एच आई एस के निरंतर एवं प्रभावी उपयोग का विस्तार एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से जल विज्ञान परियोजना चरण-II (एच पी-II) आरंभ की गई है जिससे एच पी-II परियोजना के तहत् शामिल 13 राज्यों तथा 8 केंद्रीय अभिकरणों में बढ़ी हुई उत्पादकता तथा लागत प्रभावी जल संबंधी निवेशों में वृद्धि हुई। यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है ।

1.4.3 जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण : इसमें दो संघटक उदाहरणार्थ " एन डब्ल्यू डी ए द्वारा नदी संपर्क प्रस्तावों का अन्वेषण " तथा "सी डब्ल्यू सी द्वारा जल संसाधनों/बहुउद्देशीय योजना, का अन्वेषण" शामिल हैं। इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण, जल के अंतरबेसिन हस्तांतरण संबंधी स्कीमों तथा उपरोक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, अनुपूरक अथवा प्रेरक माने जाने वाले अन्य अध्ययनों तथा क्रियाकलापों को करने सहित विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने से संबंधित क्रियाकलापों को करना है।

1.4.4 जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं - (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं विशेषकर अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना/ उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना ।

1.4.5 राष्ट्रीय जल अकादमी : इस स्कीम में ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कि जल संसाधन विकास विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन व्यवसायविदों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ।

1.4.6 सूचना, शिक्षा और संचार : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं - (i) किफायती जल उपायों को अपनाये जाने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, (ii) लोगों के बीच में उपलब्ध जल को उचित ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना, (iii) जल की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी उपायों को अपनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना , (iv) जल संतुलन बनाये रखने और लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पारंपरिक जल निकायों के महत्व पर जोर देना, (v) जल के संरक्षण को एक जन अभियान बनाना तथा नागरिकों को जल बचाने संबंधी विभिन्न उपायों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना ।

1.4.7 नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण : इस स्कीम का उद्देश्य जल संसाधनों का विकास एवं उपयोग इस प्रकार करना कि बेसिन और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प की पहचान करने के दृष्टिकोण से आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है।

1.4.8 अवसंरचना विकास : इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (ii) सीजीडब्ल्यूबी की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण ।

1.4.9 बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना : इस स्कीम में बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवश्यक अध्ययन शुरू करने की योजना है ।

1.4.10 भूजल प्रबंधन और विनियमन : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

- भूजल प्रबंधन अध्ययन करना;
- भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूजल अन्वेषण करना;
- देश के भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से आकलन करना और प्रविधि को संशोधित/अद्यतन करना;
- भूजल प्रेक्षण कुओं के माध्यम से भूजल स्तरों और गुणवत्ता की निगरानी करना;
- क्षेत्र विशिष्ट आधारित प्रविधियों को विकसित/अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन करना;

- भूजल संबंधी आंकड़ों के भंडारण, प्रक्रमण और प्रचार-प्रसार के लिए आंकड़ा भंडारण और सूचना-प्रणाली स्थापित/अद्यतन करना;
- राज्य सरकारों की समन्वय से भूजल विकास को विनियमित और नियंत्रित करना;
- क्षमता वाले जलभृतों का पता लगाने और भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण इत्यादि संबंधी उपयुक्त स्थलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सतही और उप-सतही विधियों के माध्यम से भूभौतिकी अध्ययन करना;
- भूजल अध्ययनों के लिए बेंच मार्क प्रविधियों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना;
- जागरूकता और जल गुणवत्ता संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना;
- भूजल की बचत और बंटवारे के पहलूओं पर वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ संपर्क विकसित करना;
- कृषि, औद्योगिक और संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के वास्ते भूजल गुणवत्ता का आकलन करना;
- योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्टें, नक्शे, भूजल एटलस और विवरणिकाएं तैयार करना।

1.4.11 राजीव गांधी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान : इस स्कीम में भूजल संसाधनों की आयोजना, अन्वेषण, विकास, प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में भूजल कार्मिकों के ज्ञान और कौशल का संगठन और उन्नयन करने के लिए आधार उपलब्ध कराने संबंधी क्रियाकलाप शामिल होंगे ।

1.4.12 पगलादिया बांध परियोजना : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असम के नलबारी क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पगलादिया नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने तथा वार्षिक रूप से (औसतन) 54,160 हेक्टेयर के सकल कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना है । यह परियोजना आकस्मिक लाभ के रूप में नहर से छोड़े जाने वाले जल से 3 मेगावाट जल विद्युत भी उत्पन्न करेगी । पगलादिया बाँध परियाजना का कार्य जिरात सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य के पूर्ण न होने के कारण रोक दिया गया।

1.4.13 बाढ़ पूर्वानुमान : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार लाना तथा पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है ।

1.4.14 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन क्रियाकलाप : अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में शामिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नदी प्रबंधन क्रियाकलापों को क्रमबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर नदी प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप शुरू करना आवश्यक है जिसमें जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, अन्वेषण और जहां कहीं आवश्यक हो वहां पड़ोसी राज्यों के सहयोग से आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाय शामिल हैं ।

1.4.15 फरक्का बैराज परियोजना : फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य "बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबंधित संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव" है ।

अध्याय - II
परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना परिणाम 2010-11

(करोड़ रूपये)

क्र.सं	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तियां
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	**2**	**3**	**4(i)**	**4(ii)**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(क) वाटरशेड एटलस का निर्माण और 1:50000 के पैमाने पर देश की वेब सक्षम जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (ख) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहायता उपलब्ध कराना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अभिज्ञात अध्ययनों/कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। (ग) प्रभावी जल प्रबंधन एवं इष्टतम उपयोग, विशेषकर जल की कमी वाले मौसम के दौरान, नीचे नदी में वर्फ के पिघलने से आने वाले जल के आकलन के	66.00	0.00	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) वेबसाइट का 30 जीआईएस परतों के साथ विस्तार/अद्यतन किया जाएगा। (ख) 878 जलवैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण जारी रहेगा। (ग) हिम प्रेक्षण, जी एवं डी स्थलों पर दीर्घावधी आंकड़ों को एकत्र करना और स्नो मेल्ट रन ऑफ मॉडलों का विकास। (घ) निगरानी उद्देश्यों के लिए परियोजनाओं के विभिन्न दौरे। (ड) चौथी लघु सिंचाई	(क) बेसिनवार जल वर्ष पुस्तिका तैयार करना (ख) चौथी लघु सिंचाई गणना के लिए फील्ड आंकड़ों को एकत्र करना और इसका प्रक्रियान्वयन पूरा किया जाएगा। (ग) डब्ल्यूआरआईएस के लिए वेबसाइट का विस्तार/अद्यतन।	वर्ष भर कार्यकलाप को जारी रखा जाना है ।	

		यमुना एवं चेनाब बेसिन के लिए स्नो मेल्ट रन ऑफ मॉडल विकसित करना। (घ) जल गुणवत्ता आंकड़ों को एकत्र करना एवं उनका प्रकाशन (ड़) समग्र जल संसाधन आकलन के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े संग्रहीत करना और इनकी विशेषताओं के लिए इनका विश्लेषण करना (च) एआईबीपी एवं सीएडी परियोजनाओं सहित पूरे देश में चयनित चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी (छ) चौथी लघु सिंचाई गणना			गणना के लिए फील्ड आंकड़ों को एकत्र करना और इसका प्रक्रियान्वयन पूरा किया जाएगा।			
2	जल विज्ञान परियोजना फेज-।।	13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन प्रयोक्ताओं द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ।	**53.00**	**0.00**	जलविज्ञान परियोजना फेज-।। के स्थान पर 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता से परियोजना घटकों का कार्यान्वयन अर्थात नए राज्यों में पीडीएस सहित संस्थागत सुदृढ़ीकरण, ऊर्ध्वाधर विस्तार (जलवैज्ञानिक डिजाइन सहायक,	(क) कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच विनिमय के लिए उन्नत आंकड़ा सुलभता (ख) एकीकृत जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन के लिए उन्नत उपस्कर (ग) बाढ़ और सूखे के प्रबंधन के लिए उन्नत	केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात जल संसाधन मंत्रालय, बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी,सीजी-डब्ल्यूबी, एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपसीबी और आईएमडी के माध्यम से परियोजना जून, 2012 तक कार्यान्वित की जायेगी ।	

					डीएसएस-आयोजना,डीएसएस-रीयल टाइम तथा 31 प्रयोजन मूलक अध्ययन) तथा क्षैतिज विस्तार	आंकड़ा प्रणाली तथा उपस्कर		
3	भूजल प्रबंधन और विनियमन	क) भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एकीकृत भूजल प्रबंधन अध्ययन ख) वैज्ञानिक साधनों अर्थात दूरसंवेदी और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूभौतिकीय सर्वेक्षण ग) भूजल निगरानी केन्द्रों से भूजल स्तरों की निगरानी घ) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के लिए स्रोत अन्वेषण के वास्ते अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण ड) योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्ट, नक्शे तैयार किया जाना च) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण	**100.00**	**0.00**	क) भूजल प्रबंधन अध्ययन- 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर ख) भूजल अन्वेषण- 800 कुएं ग) भूभौतिकी सर्वेक्षण: वीईएस- 2000 वेल लागिंग- आवश्यकता आधारित (घ) भूजल निगरानी- 15,640 भूजल प्रेक्षण कुएं भूजल गुणवत्ता के आकलन का जलरसायनिक विशलेषण- 20,000 नमूने (ड) अल्पकालीन जल आपूर्ति अन्वेषण- आवश्यकता आधारित (च) 40 जिला जलवैज्ञानिक रिपोर्टें, 23 भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं एवं 6 राज्य रिपोर्टें तैयार करना (छ) अभिज्ञात जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं	सूची में दिए गए विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अभिज्ञात जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में भूजल के वैज्ञानिक विकास एवं प्रबंधन को सुगम बनाना।	एक वर्ष, कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों को छोड़कर जो 2-3 वर्ष तक जारी रहते है।	

		अध्ययन						
4	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	सर्वेक्षण, क्षेत्र अवेषण कराना जल के अतबेसिन हस्तांतरण की स्कीमों सहित विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराना और उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, पूरक अथवा प्रेरक समझे जाने वाले क्रियाकलापों तथा अन्य अध्ययन कराना।	**54.00**	**0.00**	(क) बेदती- वर्दा संपर्क, मानस- संकोष- तीस्ता- गंगा (एम-एस-टी-जी), जोगीघोपा- तीस्ता- फरक्का (एम-एस-टी-जी का वैकल्पिक), कोसी- मीही संपर्क, कोसी- घाघरा संपर्क, गंडक- गंगा संपर्क और नेत्रावती- हेमावती की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (ख) पार्वती- कालीसिंध- चंबल संपर्क और महानदी- गोदावरी- कृष्णा- पेन्नार- कावेरी- वैगई- गुंडर संपर्क प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया (ग) (i) पार- तापी- नर्मदा संपर्क एवं दमनगंगा- पिंजाल संपर्क (ii) पार्वती- कालीसिंध- चंबल संपर्क का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (घ) अंत:राज्य की व्यवहार्यता- पूर्व रिपोर्टें तैयार करना	(क) 5 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (ख) एक परियोजना की डीपीआर	डीपीआर तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति के लिए प्रयास किए जाने हैं। डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी रहेगा।	

5	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। ये कार्यकलाप अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, मृदा और सामग्री विज्ञान, अर्थात एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएसऔर सीएसएमआरएस तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के परिणाम से सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में जोखिम/नुकसान में कमी, परियोजना की आर्थिक डिजाइन तथा नई/उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास होगा।	**54.00**	**0.00**	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण तथा अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में मदद मिलेगी। अनुसंधान परिणाम सामान्यत: तकनीकी रिपोर्ट एवं अनुसंधान कागजातों के रूप में होते हैं जिसमें आयोजना एवं डिजाईन की उन्नत तकनीकों की सिफारिशें होती हैं। मात्रात्मक सुपुर्दगियां निम्न हैं: (क) अनुसंधान रिपोर्टें = 295(ख) अनुसंधान कागजात = 250(ग) प्रशिक्षण कार्यशालाएं = 30	(क) 545 रिपोर्टों/शोध पत्रों को अंतिम रूप देना और (ख) 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है।	
6	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना को, विकास और प्रबंधन में सेवारत इंजीनियरों / शामिल इंजीनियरों को प्रशिक्षण	**4.00**	**0.00**	35 प्रशिक्षण कार्यक्रम	35 प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2011 तक पूरे किए जाने हैं।		
7	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं पर	**6.00**	**0.00**	19 प्रशिक्षण कार्यक्रम	19 प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2011 तक पूरे किए जाने हैं।		

		प्रशिक्षण						
8	सूचना शिक्षा और संचार	जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जानकारी सृजित करना।	**15.00**	**0.00**	(क) इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (ख) कार्यशालाओं/ सेमिनारों में गठन और भागीदारी (ग) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में आवधिक विज्ञापनों सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार (घ) प्राय: देखे जाने वाले प्रसिद्ध स्थानों जैसे प्रगति मैदान आदि में प्रदर्शनी लगाना (ड़) डकुमेंटरी, छोटी फिल्में, आडियो/वीडियों स्पाट बनाना । (च) विश्ेंष दिनों अर्थात विश्व जल दिवस मनाया।	ये क्रियाकलाप जल संरक्षण एवं जल संचयन पर जोर देते हुए जल संसाधन क्षेत्र के बारे में जन जागरूकता बढाएगा	पूरे वर्ष कार्यकलाप चलाये जाएंगे	
9	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और अनुषंगी विद्युत उत्पादन	**0.50**	**0.00**	जिरात सर्वेक्षण पूरा किए जाने के बाद निर्माण पूर्व क्रियाकलाप शुरू करने के लिए केवल टोकन प्रावधान किया गया है।		ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाने हैं।	टोकन प्रावधान
10	फरक्का बैराज परियोजना	(क) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव (ख) मुख्य बैराज के किनारे नदी को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं से लगे तटबंधों की सुरक्षा के	**82.00**	**0.00**	(क) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव जो कि एक जारी कार्यकलाप है और स्पेयर गेटों का अधिप्राप्ति आदि। (ख) एफबीपी के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में गंगा-पदमा नदी के साथ-साथ	फरक्का और जांगीपुर बैराजों/गेटों का प्रचालन एक जारी रहने वाला क्रियाकलापों। कटाव नियंत्रण कार्यों से भूमि, फसलों, भवनों आदि को बचाया जाएगा जो प्रतिवर्ष उच्च बाढ़ के कारण कटाव से प्रभावित होती है।	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अभिज्ञात क्रियाकलाप। क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे।	

		लिए कटावरोधी कार्य			फरक्का बैराज के 40 किमी प्रति प्रवाह से 80 किमी अनुप्रवाह तक कटाव नियंत्रण कार्य शुरू किए जाएंगें।	टीएसी द्वारा चालू कार्यों के अतिरिक्त 5 नए कटावरोधी कार्यों के अनुशंसा की है जिन्हें 2010-11 के दौरान किया जाना है।		
11	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(क) बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सिंधु और कृष्णा बेसिन तथा गंगा और ब्रहमपुत्र बेसनिों के लिए पीएमपी एटलस तैयार करना और उनका डिजिटीकरण और डीएएआरपी के तहत तैयार किए गए एटलसों का उन्नयन । (ग) यंत्रीकरण प्रदर्श्न केन्द्र का गठन (घ) बांध सुरक्षा कार्यकलापों पर विशेष प्रयोजन पैकजों का प्रशिक्षण और विकास	**1.50**	**0.00**	(क) यंत्रीकरण प्रदर्शन केंद्र के लिए नमूनों/निर्धारित स्थलों का अधिप्राप्ति (ख) सामान्यीकृत पीएमपी एटलसें तैयार करना और उनका डिजिटीकरण। गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्शदाता और पीएमपी एटलसों का अद्यतन			
12	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण		**0.50**	**0.00**	मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जाना है। राज्य सरकारों की सहमति का अनुरोध करने के बाद क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए केवल टोकन प्रावधान किया गया है।		परिणाम राज्य सरकारों की सहमति पर निर्भर करता है।	टोकन प्रावधान
13	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केन्द्रों पर समय से पूर्वानुमान प्रदान करने के	**36.00**	**0.00**	वास्तविक समय आंकड़ों का संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़	बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आयोजना गतिविधियों	कार्य को वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यान्वित	

		लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देशभर में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का रखरखाव करना।			पूर्वानुमान जारी करना। प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं।	में मदद करने की दृष्टि से आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी । 2010-11 के दौरान 99 टेलीमेट्री केंद्रों की संस्थापना का कार्यक्रम है।	किया जाएगा।	
14	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव	**199.00**	**0.00**	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं (ii) संयुकत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी (iii)माजुली द्वीप समूह काकटाव-रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य (iv) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण (v) साझी/ सीमा नदियों पर विकास कार्य ।	बार-बार आने वाली बाढ़ समस्याओं को करना। वर्ष 2010.11 के दौरान 20 स्थलों पर भारत बंगलादेश सीमा पर तट संरक्षण कार्य किए जाएंगे । ये कार्य त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हैं ।	इसे सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	*नेपाल के क्षेत्र में कार्यों की प्रगति नेपाल द्वारा सहयोग पर निर्भर करेगी।
15	अवसंरचना विकास	जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों भूमि एवं इमारत की व्यवस्था एवं जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में आईटी प्लान का कार्यान्वयन ।	**28.50**	**0.00**	(क) केन्द्रीय जल आयोग एवं सीजीडब्ल्यूबी के लिए कार्यालय एवं आवासीय इमारतों का निर्माण एवं अन्य गतिविधियां (ख) सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और मंत्रालय (खास) के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और एक रूप वेब सक्षम सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली का विकास	इन क्रियाकलापों से कार्य के वातावरण में गुणवत्तापरक वृद्धि होगी जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।	ये गतिविधियां केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अन्य संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जानी है ।	
16	कमान क्षेत्र	किसानों की सामाजिक-	***499.00**	**0.00**	(क) 3.5 लाख हेक्टेयर के	सृजित क्षमता एवं	प्रगति राज्यों से प्राप्त	

	विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	आर्थिक दशा सुधारने के लिए जल उपयोग दक्षता एवं प्रति इकाई भूमि से फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों तक सिंचाई जल की पर्याप्त वितरण प्रणाली विकसित करना			कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) में ओएफडी कार्य (फील्ड चैनल एवं भूमि समतलीकरण क्षेत्र सीमाओं को आकृति एवं पुन: संरेखन करना) (ख) 1.4 लाख हेक्टेयर के सीसीए में फील्ड, मध्यम एवं संपर्क वाहिकाएं (ग) 0.26 लाख हेक्टेयर के सीसीए में 4.25 क्यूमेक तक की क्षमता वाली प्रणालियों में प्रणालीगत कमियों में सुधार।	प्रयुक्त क्षमता के बीच का अंतर समाप्त करना ।	होने वाले प्रस्ताव और राज्यों द्वारा समय पर निधि का उपयोग करने पर निर्भर करेगी।	
17	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने एवं (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभ लेने की दृष्टि से निर्माण की अंतिम अवस्था में चल रही सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को पूरा करना जो कि राज्य सरकार की इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने में संसाधन क्षमता से परे हैं ।	**9200.00**	**0.00**	एआईबीपी के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 9.5 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना और 15 वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं और 800 लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा करना।	(क) एआईबीपी से सहायता प्राप्त वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन (ख) एआईबीपी से सहायता प्राप्त लघु सिंचाई परियोजनाओं में 2.0 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन	प्रगति राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव और राज्यों द्वारा समय पर निधि का उपयोग करने पर निर्भर करेगी।	
18	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार	जल निकायों की भंडारण क्षमता को बहाल करना और संवर्धन करना और उनकी सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना और बढ़ाना, कृषि/उद्यान कृषि	**600.00**	**0.00**	(क) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं संबंधी कार्य जारी रहेंगे और घरेलू	1500 जलनिकायों संबंधी कार्य पूरी तरह से पूरे कर लिए जाएंगे।	प्रगति राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव और राज्यों द्वारा समय पर निधि का उपयोग करने पर निर्भर करेगी।	

		उत्पादकता में सुधार।			सहयोग से स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी (ख) स्कीम, जैसे और जब पूरी की जाएगी, के निष्पादन का मूल्यांकन			
19	बांध पुन:स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम		**1.00**	**0.00**			यह एक बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम है और इसे विश्व बैंक के साथ समझौते के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।	टोकन प्रावधान
20	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल विकास निकास, बाढ़ रोधी कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	**1199.00**	**0.00**	(क) गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंध कार्य (ख) गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण पर कार्यबल-2004 द्वारा सुझाए गए कटावरोधी कार्य, जल निकास विकास कार्य आदि (ग) तटवर्ती राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य। (घ) चुनिंदा खंडों में नदी सेक्शनों की गाद हटाना/खुदाई।	(क) इन क्रियाकलापों से बाढ़, नदी तट कटाव और तटीय कटाव के कारण होने वाली क्षति में कमी लाने में सहायता मिलेगी (ख) 150 एफएमपी सहायता प्राप्त बाढ़ प्रबंधन कार्य पूरे किए जाएंगे।	प्रगति राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव और राज्यों द्वारा समय पर निधि का उपयोग करने पर निर्भर करेगी।	व्यय में रूझान राज्यों द्वारा पूर्व में जारी की गई निधि के उपयोग पर निर्भर करेगा।
		कुल	**12199.00**	**0.00**				
	***1.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित भूजल संबंधी नई स्कीम के लिए।**							

अध्याय- III

सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहल

3.1 वर्ष 2009-10 के दौरान अंतर्राज्य जल विवादों के मसाधान के लिए निम्नलिखित अभिकरण स्थापित किया गया था।

(क) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच वंशधारा नदी जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए वंशधारा नदी जल विवाद अभिकरण स्थापित किया गया है।

(ख) कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के बीच महादायी नदी जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए सरकार ने 10-12-2009 को ट्रिब्यूनल के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

3.2 बाँध सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है। जिससे देश के बाँधों को समुचित पर्यवेक्षण अन्वेषण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए परिक्रियाएँ आरंभ की गई हैं।

3.3 जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौता ज्ञापन 10 नवंबर, 2009 को हस्ताक्षरित किया गया, जिसकी वैधता 5 वर्ष है।

3.4 सिंचाई अंतर्राष्ट्रीय आयोग का 5वाँ ए सी आई क्षेत्रीय सम्मेलन और 60 वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ए सी आई क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य "प्रौद्योगिकी उन्नयन और बेहतर परिचालन और अनुरक्षण के माध्यम से सिंचाई परियोजना की क्षमता में सुधार था।"

3.5 भारत और बांग्लादेश के बीच सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव स्तरीय बैठक की गई और दोनों तरफ सामान्य सीमा क्षेत्र नदियों अर्थात् नागर, पुनर्भावा, अटराई, महानंदा, काराटोया, फेनी, कुलिक और धालाई पर तट सुरक्षा कार्यों को करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश सरकार इच्छामती नदी की समान सीमा पर तलकर्षण कार्य को निष्पादित करने में और त्रिपुरा के सबरोम कस्बे में तत्काल पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन को आपसी सहयोग से निष्पादित करने के लिए सहयोग करने के लिए भी सहमत हो गई है।

3.6 नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम :- अंतर्राज्यीय संपर्कों के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के कार्यों को शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए समिति के कार्यों के सुधार के लिए प्रस्ताव को एनडब्ल्यूडीए समिति ने स्वीकार कर लिया है। इस पर अब अनुमोदन के लिए ईएफसी और मंत्रिमंडल द्वारा कार्यवाई की जाएगी।

अध्याय - IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन तथा 2009-10 के निष्पादन (पहले निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में) संबंधी संगत सूचना **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक - II पर दी गई है।**

4.2 इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' है। इसके ब्यौरे **अनुलग्नक - III** में दिये गये हैं।

अध्याय - V

समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आबंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे **अनुलग्नक - IV** पर दर्शाये गये हैं।

वित्त वर्ष 2009- 10 में व्यय का रूझान :

5.2 वर्ष 2009-10 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन 600.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन में कम करके 540.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था। लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार, जनवरी, 2010 तक 372.52 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो 09-10 के बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 62.09% और 68.99% होता है।

5.3 वित्त वर्ष 09-10 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों के तहत जनवरी, 2010 तक अनुमोदित योजना परिव्यय (ब.प्रा./सं.प्रा. दोनो) तथा व्यय का क्षेत्रवार वितरण संक्षेप में इस प्रकार है:

(रूपये करोड में)

क्षेत्र	**ब.प्रा. 2009-10**	**सं.प्रा. 2009-10**	**जनवरी, 2010 तक व्यय**
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	219.20	189.20	130.28
लघु सिंचाई	76.00	76.50	51.81
बाढ़ नियंत्रण	234.80	204.30	127.16
परिवहन क्षेत्र	70.00	70.00	60.60
स्थानान्तरण के लिए प्रविष्टि प्रतीक्षित	0.00	0.00	2.67
कुल	**600.00**	**540.00**	**372.52**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्यता स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों जो अनिवार्यता होते हैं उनके समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है। फरक्का बैराज परियोजना केवल ऐसी परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है। जल संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है।

5.5 चंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है। इसलिए केन्द्र सरकार बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

5.6 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
2. जल विज्ञान परियोजना
3. जल संसाधन विकास का अन्वेषण
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय जल अकादमी
6. सूचना, शिक्षा और संचार
7. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना
8. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण
9. भूमि जल प्रबंधन और विनियमन
10. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीएण्डआरआई
11. बाढ़ पूर्वानुमान
12. नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से सवंबंधित कार्य
13. पगलादिया बांध परियोजना
14. अवसंरचना विकास
15. फरक्का बैराज परियोजना

राज्य क्षेत्र स्कीमें

16. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
17. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धारा
18. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
19. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
20. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5.7 पिछले-2 वर्षों में आबंटित और व्यायत बजट दर्शाने वाली व्यापक तालिक तालिका-क और ख में दी गई है । विभिन्न क्षेत्रों (तालिका क) के बीच निधि के आबंटन और जिस रूप में मंत्रालय का व्यय हुआ है (तालिका ख) के संबंध में मंत्रालय के बजट में उल्लेख किया गया है ।

5.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के संबंध में ब्यौरा तालिका ग में दिया गया है

तालिका - क

बजट एक दृष्टि में

(क्षेत्रवार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल ब.प्रा. 2010-11
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**									
1.	जल संसाधन मंत्रालय (खास)	0.00	21.74	0.00	21.00	0.00	29.16	0.00	24.52	24.52
2.	रावी-व्यास जल अधिकरण	0.00	0.82	0.00	0.80	0.00	1.09	0.00	1.04	1.04
3.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	0.00	1.41	0.00	1.60	0.00	2.31	0.00	1.93	1.93
4.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.45	0.00	1.40	0.00	1.80	0.00	1.76	1.76
5.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	कुल : सचिवालय आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**25.42**	**0.00**	**24.80**	**0.00**	**34.36**	**0.00**	**31.25**	**31.25**
II	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	20.05	0.00	23.00	0.00	25.24	0.00	20.90	20.90
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	65.42	0.00	69.22	0.00	74.21	0.00	65.13	65.13
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.49	0.00	0.65	0.00	0.39	0.00	0.32	0.32
4.	अनुसंधान	0.00	1.33	0.00	1.60	0.00	2.78	0.00	1.84	1.84
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	7.74	0.00	4.50	0.00	6.21	0.00	5.03	5.03
6.	परामर्शी	0.00	20.75	0.00	20.00	0.00	23.70	0.00	18.84	18.84
7.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान									
8.	जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01
9.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.18	0.00	0.30	0.00	0.15	0.00	0.01	0.01
10.	उपस्कर का आधुनिकीकरण सीडब्ल्यूसी आफसेट प्रेस	0.00	0.23	0.00	0.35	0.00	0.33	0.00	0.24	0.24
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	0.50	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.65	0.65

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल ब.प्रा. 2010-11
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	1.13	0.00	1.40	0.00	1.28	0.00	1.06	1.06
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	1.61	0.00	1.60	0.00	2.05	0.00	1.69	1.69
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	2.37	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	4.00	0.00	4.00
	कुल: केन्द्रीय जल आयोग	**2.37**	**119.44**	**2.60**	**123.23**	**2.60**	**136.96**	**4.00**	**115.72**	**119.72**
15.	केन्द्रीय मृदा सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	5.99	0.00	5.00	0.00	7.72	0.00	5.92	5.92
16.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	28.26	0.00	25.00	0.00	36.26	0.00	25.47	25.47
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	6.86	0.00	5.30	0.00	10.29	0.00	6.50	6.50
18.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.58	0.00	0.90	0.00	0.89	0.00	0.63	0.63
19.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.15	0.00	0.23	0.00	0.22	0.00	0.20	0.20
20.	सतलज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	6.18	0.00	20.00	20.00
21.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	0.90	0.00	1.84	0.00	0.85	0.00	1.82	1.82
22.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	39.81	0.00	52.00	0.00	35.00	0.00	54.00	0.00	54.00
23.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	45.58	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	66.00	0.00	66.00
24.	जल विज्ञान परियोजना	9.92	0.00	38.10	0.00	25.10	0.00	53.00	0.00	53.00
25.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	36.17	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	54.00	0.00	54.00
26.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	9.08	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	15.00
27.	नदी बेसिनसंगठन/ प्राधिकरण	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
28.	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	0.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	1.50
29.	अवसंरचना विकास	2.06	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00
30.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	कुल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**145.79**	**162.18**	**219.20**	**183.51**	**189.20**	**199.38**	**251.00**	**176.26**	**427.26**
III	**लघु सिंचाई**									
1.	केन्द्रीय भूमि जल	0.00	85.53	0.00	94.99	0.00	111.27	0.00	98.31	98.31

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल ब.प्रा. 2010-11
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	बोर्ड									
2.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआर आई	0.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	6.00
3.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	54.37	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4.	अवसंरचना विकास	2.07	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	10.50	0.00	10.50
	कुल: लघु सिंचाई	**57.08**	**85.53**	**76.50**	**94.99**	**76.50**	**111.27**	**116.50**	**98.31**	**214.81**
IV.	**बांध नियंत्रण**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	बाढ़ आंकड़ा संग्रह	0.00	51.70	0.00	55.00	0.00	59.98	0.00	53.77	53.77
2.	बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान	0.00	1.02	0.00	1.20	0.00	1.06	0.00	1.02	1.02
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	1.96	0.00	2.25	0.00	1.95	0.00	1.95	1.95
	कुल: केन्द्रीय जल आयोग	**0.00**	**54.68**	**0.00**	**58.45**	**0.00**	**62.99**	**0.00**	**56.74**	**56.74**
4.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
5.	पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	13.68	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	36.00	0.00	36.00
7.	सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं कार्य	176.09	0.00	199.30	0.00	174.30	0.00	199.00	0.00	199.00
8.	अवसंरचना विकास	6.56	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	15.00	0.00	14.00
	कुल: बाढ़ नियंत्रण	**196.33**	**54.68**	**234.30**	**61.45**	**204.30**	**65.99**	**250.50**	**59.74**	**310.24**
V.	**अन्य परिवहन सेवाएं**									
1.	फरक्का बैराज परियोजना	54.03	25.89	70.00	32.00	70.00	28.30	82.00	33.10	115.10
2.	जंगीपुर बैराज	0.00	1.90	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00	2.27	2.27
3.	पोषक नहर	0.00	3.78	0.00	4.00	0.00	3.81	0.00	4.07	4.07
	कुल: परिवहन सेवाएं	**54.03**	**31.57**	**70.00**	**38.25**	**70.00**	**34.00**	**82.00**	**39.44**	**121.44**
	कुल (I से V) *	**453.23**	**359.38**	**600.00**	**403.00**	**540.00**	**445.00**	**700.00**	**405.00**	**1105.00**

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल ब.प्रा. 2010-11
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VI.	**एआईबीपी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम****	**8553.70**	**0.00**	**9700.00**	**0.00**	**9700**	**0.00**	**11500.00**	**0.00**	**11500**
	कुल जोड़	**9006.93**	**359.38**	**10300.00**	**403.00**	**10240.00**	**445.00**	**12200.00**	**405.00**	**12605.00**

वित्त का स्रोत: ** वर्ष 2010-11 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 103(एआईबीपी को छोड़कर)*
*** मांग संख्या 35 में दर्शाए गए विवरण- वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका - ख

बजट एक दृष्टि में

(व्यय का प्रकार)

(करोड रूपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
क.	**प्रत्यक्ष व्यय**									
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	0.00	25.42	0.00	24.80	0.00	34.36	0.00	31.25	31.25
2.	केन्द्रीय जल आयोग:									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.37	119.44	2.60	123.23	2.60	136.96	4.00	115.72	119.72
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	54.68	0.00	58.45	0.00	62.99	0.00	56.74	56.74
3.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	5.99	0.00	5.00	0.00	7.72	0.00	5.92	5.92
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	28.26	0.00	25.00	0.00	36.26	0.00	25.47	25.47
5.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	85.53	0.00	94.99	0.00	111.27	0.00	98.30	98.31
6.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआरआई	0.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	6.00
7.	फरक्का बैराज परियोजना	54.03	31.57	70.00	38.25	70.00	34.00	82.00	39.44	121.44
8.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	1.63	0.00	2.97	0.00	1.96	0.00	2.66	2.66
9.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	कुल: प्रत्यक्ष व्यय	**57.04**	**352.52**	**74.60**	**372.70**	**74.60**	**425.53**	**92.00**	**375.50**	**467.50**
ख. (क)	**जारी की गई राशि स्वायत्त निकायों को अनुदान**									
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	6.86	0.00	5.30	0.00	10.29	0.00	6.50	6.50
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	39.81	0.00	52.00	0.00	35.00	0.00	54.00	0.00	54.00
3.	पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
	उप-जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**39.81**	**6.86**	**52.50**	**5.30**	**35.50**	**10.29**	**54.50**	**6.50**	**61.00**
(ख)	**बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता**									
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	उप-जोड़ (ख) : बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**
(ग)	**राज्य सिंचाई स्कीमें**									
1.	सतलज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	6.18	0.00	20.00	20.00
	कुल: जारी की गई कुल राशि (क) से (ग)	39.81	6.86	52.50	30.30	35.50	19.47	54.50	29.50	75.00
	कुल (क+ख)*	**96.85**	**359.39**	**127.10**	**403.00**	**110.10**	**445.00**	**146.50**	**405.00**	**551.50**

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		सं.प्रा. 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
ग	**अन्य योजना स्कीमें**									
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	45.59	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2.	जल विज्ञान परियोजना	9.92	0.00	38.10	0.00	25.10	0.00	53.00	0.00	53.00
3.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	36.17	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	54.00	0.00	54.00
4.	सूचना, शिक्षा और संचार	9.08	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	15.00
5.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
6.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	0.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	1.50
7.	अवसंरचना विकास	2.06	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	कुल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**103.61**	**0.00**	**164.60**	**0.00**	**151.60**	**0.00**	**193.00**	**0.00**	**193.00**
	लघु सिंचाई									
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	54.37	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.	अवसंरचना विकास	2.07	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	10.50	0.00	10.50
	कुल: लघु सिंचाई	**56.44**	**0.00**	**74.5 0**	**0.00**	**81.50**	**0.00**	**110.50**	**0.00**	**110.50**
	बाढ़ नियंत्रण									
1.	बाढ़ पूर्वानुमान	13.68	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	36.00	0.00	36.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य अवसंरचना विकास	176.09	0.00	199.30	0.00	174.30	0.00	199.00	0.00	199.00
3.	अवसंरचना विकास	6.56	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल: बाढ़ नियंत्रण	**196.33**	**0.00**	**233.80**	**0.00**	**203.8**	**0.00**	**250.00**	**0.00**	**250.00**
	कुल: क+ख+ग	**453.23**	**359.38**	**600.00**	**403.00**	**540.00**	**445.00**	**700.00**	**405.00**	**1105.00**
घ	**एआईबीपी और दूसरे जल संसाधन कार्यक्रम ****	**8553.70**	**0.00**	**9700.00**	**0.00**	**9700.00**	**0.00**	**11500.00**	**0.00**	**11500.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**9006.93**	**359.38**	**10300.00**	**403.00**	**10240.00**	**445.00**	**12200.00**	**405.00**	**12605.00**

वित्त का स्रोत: *वर्ष 2010-2011 के लिए जल संसाधन मंत्रालय मांग सं. 103 (एआईबीपी को छोड़कर)

*** मांग सं. 35 में दर्शाए गए विवरण- वित्त मंत्रालय* (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित)

तालिका - ग

31.03.2007 तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

मंत्रालय/विभाग का नाम: जल संसाधन मंत्रालय

31.12.2009 तक की स्थिति

मार्च, 07 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	31.12.2009 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
43 (संस्थान और स्वायत्त निकाय)	2.22	15	0.59	28	1.63
21* (राज्य सरकारें)	38.38	7	1.59	14	36.79

*विभिन्न राज्य सरकारों को जारी अनुदान/ऋणों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा

एसएमडी का नाम	मार्च, 07 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	31.12.2009 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लघु सिंचाई	2	0.04	0	0	2	0.04
गंगा स्कंध	12	5.68	7	1.59	5	4.09
कमान क्षेत्र विकास	7	32.66	0	0	7	32.66
कुल	21	38.38	7	1.59	14	36.79

अध्याय VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय:

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड:

6.1.1 गठन: ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण एवं तट कटाव और इससे संबंधित मामलों के लिए आयोजना एवं समग्र कार्यान्वयन के उद्देश्य से 1980 में संसद के अधिनियम द्वारा (1980 का अधिनियम 46 अर्थात "ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम") किया गया था। इसने गुवाहाटी, असम में मुख्यालय से 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना शुरू किया । जून, 2006 में सिक्किम और ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाले पश्चिम बंगाल के एक हिस्से को शामिल करते हुए इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है ।

6.1.2 मुख्य कार्य :

अधिनियम के अनुसार बोर्ड के प्रमुख कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के सिंचाई, जल विज्ञान, नौवहन एवं अन्य उपयोग उद्देश्यों के लिए विकास एवं उपयोग को उचित महत्व देते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं तट कटाव और जल निकास में सुधार के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना है । इसे प्रदत्त कार्यों में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर योजना में अभिज्ञात किये गए बांधों एवं अन्य परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और मास्टर योजना में यथा प्रस्तावित इससे संबंधित अन्य कार्यों का निर्माण एवं रखरखाव और ऐसे बांधों एवं कार्यों का रखरखाव एवं प्रचालन भी शामिल है ।

6.1.3 वर्ष 2009-10 के दौरान 3 (तीन) उप-बेसिन मास्टर योजनाएं अर्थात धनसिरी (एन), बरनाड़ी और बुरोई को पूरा किया गया और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया । अन्य 13 (तेरह) मास्टर योजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और इन्हें तैयार करने संबंधी कार्य प्रगति पर थे। आठ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में डीपीआर तैयार करने हेतु फील्ड अन्वेषण जारी रखा गया ।

6.1.4 माजुली द्वीप के फेज-। के कार्य (संशोधित लागत 56.07 करोड़ रूपये) वर्ष के दौरान जारी रखे गए और 95% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फेज-।। एवं ।।। के कार्य 2009-10 के दौरान 115.03 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से शुरू किए गए थे और 10% कार्य पूरे कर लिये गए हैं और 10.12 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

6.1.5 धोला हातीघुली फेज-IV के अतर्गत कटावरोधी कार्य (53.11 करोड़ रूपये) 2009-10 में शुरू किये गए थे और 15% कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.53 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

6.1.6 7 (सात) जल निकास विकास स्कीमों अर्थात हारंग (30.49 करोड़ रूपये), बरभाग (7.23 करोड़ रूपये), अमजुर (14.15 करोड़ रूपये), जेंगराई (1.49 करोड़ रूपये), जकाईचुक (2.96 करोड़ रूपये), सिंगला (3.54 करोड़ रूपये) और बारपेटा का पूर्व (1.34 करोड़ रूपये) का निष्पादन 2009-10 में जारी रखा गया । विभिन्न जल निकास स्कीमों के कार्य पर जनवरी, 2010 तक प्राप्त की गई प्रगति हारंग में 30%, बरभाग में 26%, अमजुर में 15%, जेंगराई में 30%, जकाईचुक में 50%, सिंगला में 3% और बरपेटा के पूर्व में 30% थी ।

6.1.7 पूर्वोत्तर जल वैज्ञानिक एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (एनईएचएआरआई) ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एनईईपीसीओ, सीडब्ल्यूसी, एनएचपीसी आदि के लिए मृदा, चट्टान एवं कंक्रीट नमूनों के काफी संख्या में जांच के कार्य शुरू किए हैं ।

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण:

6.2.1 रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मई 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्दर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई कर रहा है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पंजाब समझौता समापन अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति संदर्भ के निलंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण:

6.3.1 अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था । अधिकरण ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 05.2.2007 को प्रस्तुत किया । संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की मांग की है । पक्षकार राज्यों ने अधिकरण के दिनांक 05.02.2007 के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति याचिका दायर की है । पक्षकार राज्यों और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार की ओर से अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत दायर की गई याचिका पर अधिकरण द्वारा 10.7.2007 को विचार किया गया । माननीय

अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 फरवरी, 2007 के अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति मंजूर की है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है । माननीय अधिकरण ने यह आदेश दिया कि अधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाता है । विशेष अनुमति याचिका की प्राथमिक सुनवाई दिनांक 12 मई, 2009 और 20.09.2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हुई और मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है । सरकार द्वारा अधिकरण का कार्यकाल 02.11.2010 तक बढ़ा दिया गया है ।

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण:

6.4.1 अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बटवारे से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था ।

6.4.2 अधिकरण द्वारा विचार करने के लिए 32 मामलों को सामने लाया गया है । पक्षकार राज्यों ने अभी तक 108 वादकालीन आवेदनों को दाखिल किया है । इनमें से 106 वादकालीन आवेदनों को पक्षकार राज्यों को सुनने के पश्चात आवश्यक आदेश पारित कर निपटाया गया ।

6.4.3 वर्ष 2007 के दौरान गवाहों की मौखिक गवाहियां कर्नाटक राज्य के साथ शुरू हुए और उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों की गवाहियां हुई । कर्नाटक राज्य के खंडन में एक गवाह तीन गवाहें, महाराष्ट्र राज्य के चार गवाहों और आंध्र प्रदेश राज्य के चार गवाहों की गवाहियां रिकॉर्ड की गई हैं । आंध्र प्रदेश राज्य के गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं । कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं । आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से दलीलें जारी हैं ।

6.4.4. पक्षकारों के अनुरोध पर अल्माती बांध एवं हिप्पारगी बैराज पर जलराशिक सर्वेक्षण आईएसडब्ल्यूआरडी की धारा 9(2) के अंतर्गत उस अभिकरण द्वारा करवाने का निर्देश दिया गया जिसने इसकी मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके बाद अभिकरण से एक पूरक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया और इसे दायर किया गया । इसके बाद पूरक रिपोर्ट दायर करते समय टोजो विकास अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड ने उनके दिनांक 30.11.2009 के पत्र के माध्यम से पूरक रिपोर्ट के पक्ष में 110 चित्र और 15 सी.डी. प्रस्तुत करने के लिए और समय देने की प्रार्थना की । उपरोक्त चित्र सी.डी. सहित दायर कर दिये गए हैं । तत्पश्चात जलराशिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और पूरक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर दलीलें 15.12.2009 को शुरू हुई और अभी पूरी होनी हैं । मुख्य मामले के संबंध में भी दलीलें जारी हैं ।

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां):

6.5 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

6.5.1 जल संसाधन मंत्रालय (एम ओ डब्ल्यू आर) और केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की जिसमें देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अन्तर बेसिन हस्तांरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रसतावों की व्यवहार्यता स्थापित करने तथा इसे मूर्त रूप देने के वास्ते भिन्न-भिन्न प्रकार का तकनीकी अध्ययन करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जुलाई, 1982 में किया गया था ।

6.5.2 समय-समय पर यथानुमोदित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नवत हैं:

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं ।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणलियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा की बारे में विस्तृत अध्ययन करना ।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।

ङ) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अन्त: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, आकस्मिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है ।

6.5.3 माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन.डब्ल्यू.डी.ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है । सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एन डब्ल्यू डी ए का शासी निकाय प्रत्येक छ: महीने में कार्यक्रम और कार्यो की प्रगति की समीक्षा करता है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्ष्ता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टी एसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है । सभी संबंधित राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है ।

6.5.4 विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है । इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्क (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही पूरी हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, हिमालयी घटक के अंतर्गत अन्य 5 संपर्कों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (भारतीय हिस्सा) पूरे कर लिए गए हैं । राज्यों द्वारा प्रस्तावित 7 अंत:राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें (पीएफआरएस) पूरी कर ली गई है ।

6.5.5 वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 09 तक) के दौरान आईएलआर कार्यक्रम पर 22.54 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है । एनडब्ल्यूडीए द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अध्ययन जारी रखे गए । केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और दो अन्य संपर्कों नामश: पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किए गए हैं।

6.5.6 वर्ष 2010-11 के दौरान एनडब्ल्यूडीए को 40.00 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया है । एनडब्ल्यूडीए यह आईएलआर कार्यक्रम के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य एवं उपरोक्त दो संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य जारी रखेगा । इसके अतिरिक्त हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में तीन संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है ।

6.6 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)

6.6.1 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन आई एच) एक शीर्षस्थ एस एण्ड टी संगठन है जो देश में जल विज्ञान और जल संसाधनों के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य करता है । जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय रूड़की में स्थित है । केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं । इस संस्थान का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा किया जाता है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति इस संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की तकनीकी जांच के लिए उत्तरदायी है । संस्थान के निदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं ।

6.6.2 संस्थान के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है :

i) जलविज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्य करना, उसकी सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना ।
ii) जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहायता और

सहयोग करना ।

iii) सोसायटी के लक्ष्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ प्रस्तकालय स्थापित करना और बनाए रखना तथा उसे पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं तथा संगत प्रकाशनों से सुसज्जित करना ; तथा

iv) ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो कि सोसायटी उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई है जरूरी प्रासंगिक, पूरक अथवा अनुकूल समझे ।

6.6.3 **संरचना :** संस्थान में अध्ययन तथा अनुसंधान मुख्यालय में पांच वैज्ञानिक डिविजनों के अन्तर्गत किया जाता है , दो केन्द्र गुवाहाटी व पटना में बाढ़ प्रबन्ध अध्ययन के लिए और चार क्षेत्रीय केन्द्र बेलगाम, जम्मू , काकीनाडा और सागर के मुख्यालय में वैज्ञानिक डिविजन ये हैं , (i) सतही जल विज्ञान , (ii) भूजल विज्ञान, (iii) पर्यावरणीय विज्ञान, (iv)जल संसाधन प्रणाली और (v) जल विज्ञान जाँच ।

6.6.4 क्षेत्रीय केन्द्र : विभिन्न क्षेत्रों का जल विज्ञान अध्ययन संस्थान के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर किए जाते है अर्थात (क) डेक्कन हाई रॉक क्षेत्रीय केन्द्र (ख) पश्चिमी हिमालय केन्द्र, (ग)डेल्टिक क्षेत्रीय केन्द्र और (घ) गंगा प्लेन दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र ।

6.6.5 एन आई एच गंगा प्लेन उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र पटना उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी को पुनर्नामित करके क्रमश: गंगा बेसिन पटना के लिए बाढ़ प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र और ब्रह्मपुत्र बेसिन गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रबंध्न अध्ययन केन्द्र कर दिया गया है और ये केन्द्र मुख्य रूप से संबंधित बेसिनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए जल विज्ञान अध्ययन पर फोकस करते हैं ।

6.6.6 वर्ष 2009-10 के दौरान निष्पादन एवं वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	**प्रत्याशित परिणाम**	**वर्ष 2009-10 के लिए वास्तविक लक्ष्य**	**वर्ष 2009-10 (दिसम्बर तक) के लिए वास्तविक उपलब्धियां**	**वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक लक्ष्य**
1.	भौतिक/गणितीय माडल/डेस्क अध्ययन/ प्रयोगशाला अध्ययनों की पूर्णता	50	29	55
2.	तकनीकी रिपोर्टों की तैयारी / पूर्ण हो चुके अध्ययन	30	17	27
3.	शोध पत्रों का प्रकाशन	160	140	174
4.	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों की तैयारी	2	-	1
5.	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	12	9	15

6.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	25	20	15
7.	तकनीकी हस्तांतरण क्रियाकलाप	**10**	**7**	**8**

दिसम्बर, 2009 तक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और जल विज्ञान परियोजना-।। के तहत क्रमश: 4.72 एवं 5.26 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6.7 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) लिमिटेड

6.7.1 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) लिमिटेड केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में एक "मिनी रत्न" उपक्रम है । कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को शामिल वाप्कोस जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है । वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, भारतीय रजिस्टर गुणवत्ता प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है।

6.7.2 मिशन : वाप्कोस का मिशन "निष्पादन, ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि, नवीनता, स्टेट ऑफ दि आर्ट तकनीकी विशेषज्ञता में श्रेष्ठता के द्वारा निरंतर लाभप्रद विकास" है ।

6.7.3 उद्देश्य: कंपनी के उद्देश्य निम्न प्रकार है :

(i) जल संसाधनों की इष्टतम आयोजना तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा इसमें उपयोग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रस्तुत करने हेतु एक प्रमुख अभिकरण की भूमिका निभाना ।

(ii) गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता का निर्माण करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों को अपनाना जिसके द्वारा उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि को सुनिश्चित करना ।

(iii) घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विकास की गति को बनाए रखना तथा जानकारी को अन्य विकासशील देशों में अंतरित करना ।

(iv) जल संसाधनों, विद्युत तथा अवसंरचना विकास के लागत-प्रभावी तथा एकीकृत विकास हेतु पर्यावरणीय अध्ययनों तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, डिजाइनों, लागत अनुमानों, परियोजना आयोजना में अन्तर्राज्यीय मानकों में विशेषज्ञता प्राप्त करना एवं इन्हें बनाए रखा ।

(v) अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से

सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ।

(vi) नई चुनौतियों के क्षेत्र में विविधत तथा संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकता के माध्यम से परामर्शी क्षेत्र में उत्कर्षता बनाए रखना ।

(vii) सुधारीकृत उत्पादकता एवं इष्टतमीकरण के माध्यम से अपने प्रचालन के परिणामस्वरूप उद्यम के उचित लाभ को सुनिश्चित करना ।

(viii) अभिनव डिजाइन विकल्पों में नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाना ।

(ix) परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेषज्ञता मानकों के अनुसार उच्चतम स्तर स्थापित करना ।

(x) उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ योग्यता को आकर्षित करना तथा दृढ़ संकल्प एवं निष्ठ कार्यबल को प्रोत्साहित करना ।

(xi) व्यापार एवं प्रभावी व्यापार प्रबंधन को बढ़ाना ।

(xii) ग्राहक संतुष्टि की पूर्ण रूप से प्राप्ति ।

(xiii) वाप्कोस के ब्रैंड नाम को प्रचारित करना ।

6.7.4 विशेषज्ञता के क्षेत्र : कंपनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में सिंचाई, जल निकासी एवं जल प्रबंधन, भूजल अन्वेषण, कुओं का विकास और लघु सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पुनरूद्धार एवं नदी आकृति विज्ञान, वर्षा एवं सिंचित कृषि, बांध और जलाशय, झील एवं नमभूमि, जलापूर्ति और स्वच्छता, मलजल और तूफानी जल निकासी, ग्रामीण एवं शहरी विकास, पत्तन एवं बंदरगाह, सड़क एवं महामार्ग, जल एवं थर्मल उर्जा विकास, उर्जा संचारण एवं वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, उर्जा के गैर-पारम्परिक स्त्रोत, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास शामिल हैं । कंपनी ने भारत एवं विदेशों में विकासात्मक परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए संस्था के अंतर्नियम में संशोधन किया है ।

6.7.5 सेवाओं का अनुक्रम: वाप्कोस इस प्रदत्त सेवाओं के कम में विविध गतिविधियों जैसे प्रारंभिक अनुसंधान/सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण और अनुसंधान, व्यवहार्यता अध्ययन/आयोजना/परियोजना प्रतिपादन, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रक्रियाओं का निरूपण एवं प्रस्तुतिकरण, परियोजना प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव, परियोजना कार्यान्वयन, संस्थागत/मानक संसाधन विकास ।

6.7.6 विदेश में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रचालन पंजीकरण: वाप्कोस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक खाद्य एवं कृषि संगठन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीका विकास बैंक, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहभागिता (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कार्पोरेशन (जेवीआईसी) आदि के साथ पंजीकृत है । वाप्कोस इस समय अफगानिस्तान, भूटान, कोम्बोडिया, इथोपिया, ईरिट्रिया, लाओस, लेस्थो, मोजाम्बिक, रवांडा, सुडान, स्वाजीलैंड, युॅगांडा, जाम्बिया और जिम्बाबे में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा हैं । भारत में वाप्कोस सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा हैं ।

6.7.7 भारत और विदेश में महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं :

वाप्कोस की कुछ महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं इस प्रकार है :-

विदेश

(i) सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना ।
(ii) सूडान आपात परिवहन और अवसंरचना विकास परियोजना- सूडान में भारतीय पीएसयू द्वारा पहली परियोजना ।
(iii) जाई-जाई, चोक्वे, इन्हमवाने और मैक्सिकों नगरपालिका, मोजाम्बिक में विकास और सफाई शिक्षा, घरों और स्कूलों के लिए स्थानीय परिस्थिति के लिए ड्राई पिट लैट्रिन डिजाइन और बाढ़ क्षेत्र और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट ।
(iv) तुंग तसाल जल संसाधन विकास परियोजना, कम्बोडिया ।
(v) कार्ती से स्ता-ट्रेंग तक ट्रांस्मीशन लाइन का परियोजना प्रबंधन, कम्बोडिया ।
(vi) वेस्ट बारै इरिगेशन प्रोजेक्ट की पुनर्स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन कंसलटेंसी, कम्बोडिया ।

(vii) नामसोंग हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट और 115 केवी ट्रांस्मीशन लाइन का परियोजना प्रबंधन और ग्रामीण विद्युतीकरण चरण-2 के लिए उपकरणों की खरीद ।
(viii) चम्पास्साक में छ: सिंचाई परियोजनाओं का विकास, लाओस ।
(ix) पुनत्सांग्चु-I, जल विद्युत परियोजना का परियोजना प्रबंधन, भूटान ।
(x) पुनत्सांग्चु-II जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूटान ।
(xi) अरूण-III जल विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, नेपाल ।
(xii) मिनी जल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, म्यांमार ।

<u>भारत</u>

(i) केरल स्थायी शहरी विकास एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट में अधीन कोची, थ्रीसूर और कोजीकोड के लिए डिजाइन और पर्यवेक्षण कंसल्टेंसी-वाप्कोस ने अपने आरंभ से लेकर अब तक सबसे बड़ा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट प्राप्त किया ।
(ii) सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात की आयोजना, सर्वेक्षण, डिजाइन और मैक्रो/माइक्रों कैनेलाइजेशन ।
(iii) उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में अधीन गुणत्ता अन्वीक्षण और पर्यवेक्षण ।
(iv) केरल और मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में अधीन जल निकासी परियोजना सहित गुणत्ता नियंत्रण सहित परियोजना अन्वीक्षण

और निर्माण पर्यवेक्षण ।

(v) राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र समीक्षा और अन्वीक्षण अभिकरण।

(vi) दामोदर घाटी नदी परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर प्लान ।

(vii) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के लिए पर्यवेक्षण और गुणत्ता अन्वीक्षण सेवाएं, गुजरात ।

(viii) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल का नदी नियमन उपायों की पुनर्वैधता के लिए गणितीय अध्ययन मॉडल अध्ययन ।

(ix) उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

(x) तरंगीय ऊर्जा परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

(xi) कालीघाई-कालेश्वर-बघाल जल निकासी बोसिल, पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।

(xii) असैनिक प्रभावित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के लिए सतही जल आधारित पाइप्ड जलापूर्ति के संबंध में परियोजना अन्वीक्षण सहित इंजीनियरी परामर्शी सेवाएं और पर्यवेक्षण ।

कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:-

(रूपये करोड़ में)

मद	**उत्कृष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित लक्ष्य**
सकल बिक्री	346.00
सकल मार्जिन	40.00
आर्डर बुकिंग (विदेश)	168.00
आर्डर बुकिंग (घरलू)	152.00
लाभ (कर पूर्व)	30.00

6.8 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

6.8.1 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) का संस्थापन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में एक निर्माण कंपनी के रूप में मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों, बैराजों, बेयर, जलाशयों, तटबंधों, नहरों, सिंचाई एवं संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था । वर्तमान में इस की प्राधिकृत अंश निधि 700 करोड़ रूपये है तथा इसकी प्रदत्त पूंजी 94.53 करोड़ रूपये है । इसमें से 1.05 करोड़ रूपये की हिस्सेदारी 14 राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पास तथा शेष पूंजी में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी है । कम्पनी का कार्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में तथा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 14 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिल्वर, सिलांग, रायपुर, मुंबई, जम्मू तथा कश्मीर, उधमपुर, बंगलोर, पटना, छत्तीसगढ़, रांची, लखनऊ, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली और देहरादून में स्थित हैं। वर्तमान में इसके 82 प्रचालन इकाई है तथा कंपनी की कुल जनशक्ति 1930 है ।

6.8.2 कंपनी का निष्पादन पहले दस वर्षों के दौरान अच्छा रहा तथा इसमें निरन्तर 1966-67 तक (वर्ष 1962-63 को छोड़कर) प्रदत्त पूंजी पर लाभांश का भुगतान घोषित किया। हालांकि 1985-86 से 2005 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में तीव्र गिरावट आई ।

6.8.3 भारत सरकार के 219.43 करोड़ रूपये के मूलधन तथा इक्विटी पूंजी परिवर्तन की तिथि को इस पर देय संचयी ब्याज तथा इसे 10% शासित मूल्य पर लिखने के पुनरूद्धार प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । भारत सरकार के मूलधन एवं संचयी ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है तथा इसे 10% ह्रासित मूल्य पर लिखने की प्रक्रिया चल रही है।

6.8.4 वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में आईबीबी केसिंग एवं लाइटंनिग कार्य, सड़क कार्य (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में असम रिफल कार्य (iii) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) में इंडो-तिब्बत सीमा सड़क (iv) बिहार और उत्तर प्रदेश में पीएमपीएसवाई कार्य आदि । मौजूदा व्यापार प्रचालन पैटर्न को नवीन विविधताओं सहित वर्ष 2010-11 के दौरान भी जारी रखने की आशा है ।

6.8.5 वर्ष 2010-11 में कंपनी के लक्ष्य निम्नलिखित है:-

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्तीय सूचक**	**उत्कृष्ट वर्ग के लक्ष्य**
1	सकल मार्जिन	21.50
2	सकल बिक्री	990.00
3	सकल लाभ	20.75
4	नवीन व्यापार	725.00

अनुलग्नक-I

जल संसाधन मंत्रालय

2008-09 का निष्पादन

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रकिया/ समयसीमा	दिनांक 31.3.2009 को कॉलम(5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र संसाधन आकलन के लिए जलविज्ञानीय प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़ा एकत्र करना और इसकी विशेषताओं के लिए इसका विश्लेषण करना (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रक्रिया शुरू करना ।	46.00	(i) 878 जलविज्ञानीय प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का आंकलन तथा इसे जारी रखने के लिए अन्य जल संबंधी आंकड़ों का समेकन। (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए कमद उठाना।		371 जल गुणवत्ता प्रेक्षण स्थलों 878 स्थलों पर जलविज्ञानीय प्रेक्षण जारी है । जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए भी गतिविधियां जारी है।	
2	जलविज्ञानीय परियोजनाएं	13 राज्यों तथा आठ केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जलविज्ञानीय सूचना प्रणाली के स्थाई तथा प्रभावी प्रयोग को बढ़ाना तथा प्रोन्नत करना।	44.00	(क) एचपी-I क्रियाकलापों के समेकन के लिए 6 परामर्शदाताओं को लगाना हैं तथा जलविज्ञानीय सूचना प्रणाली में उर्ध्वाधर विस्तार (ख) परियोजना घटकों का कार्यान्वयन अर्थात् संस्थागत सुदृढ़ीकरण, उर्ध्वाधर विस्तार तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों में समानांतर विस्तार। क्रियाकलाप केंद्रीय अभिकरणों जैसे केंद्रीय जल आयोग, के.भू.ज.बोर्ड आदि के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने हैं।	(क) तीन वृहद परामर्शदाताओं को वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में कार्य शुरू करना है, जबकि अन्य तीन परामर्शदाताओं को मध्य 2008-09 में लगाने की संभावना है। (ख) परियोजना घटकों का कार्यान्वयन 2008-09 से तत्परता से आरंभ होगा तथा	(क) तीन मुख्य परामर्शियों को लगाया गया है तथा केंद्रीय जल आयोग के लिए चौथे परामर्शी का मूल्यांकन प्रगति पर है। दो अन्य परामर्शियों के संबंध में टी एंड एम परामर्शियों द्वारा टीओआर में संशोधन की आवश्यकता है। (ख) केंद्रीय जल आयोग तथा के.भू.ज.बोर्ड द्वारा उद्देश्यपरक् अध्ययनों के 31 प्रस्ताव विश्व बैंक द्वारा जलविज्ञानीय परियोजना चरण-II की सिंचाई मूल्यांकन के संबंध में स्कीकृत किए जा चुके है। 29 नए पद व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जा चुके है।	

					क्रियाकलाप 2012 तक जारी रहेगा।		
3	भूजल प्रबंधन एवं नियमन	(i) भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए अध्ययन (ii) भूजल योग्य क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात् दूरस्थ संवेदन और जीआईएस ड्रिलिंग की सहायता से भूभौतिक सर्वे का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण (iii) भूजल प्रबोधन केंद्रों से भूजल स्तरों का प्रबोधन केंद्र/राज्य सरकार विभागों से प्राप्त स्रोतों के लिए लघु-अवधि जल आपूर्ति की जांच। (iv) केन्द्र/राज्य सरकार विभागों के प्राप्त स्रोतों के लिए लघु अवधि जल आपूर्ति छानबीन (v) भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं एवं जल वृत्तों को चिन्हित करने के लिए स्थलों के चयन हेतु भूभौतिकी अध्ययन (vi) भूजल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन (vii) आयोजना कार्यो एवं प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्टें, मानचित्र तैयार करना (viii) केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन (ix) राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को प्रतिवलित करने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु प्रदर्शनात्मक परियोजना	95.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन 1.50 लाख वर्ग किमी. • भूजल अन्वेषण कूप- 800 • भूजल प्रक्षेपण कूपों का प्रबोधन- 15640 • 4 बार प्रबोधन • लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण - आवश्यकता आधारित (300) भौगोलिक सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस- 2200 एवं लाइन किमी = आ.आ. (ख) उप सतह बोर हाल लॉगगिंग = आ.आ. • जल नमूनों का रासायनिक विश्लेषण- 20000 • जिला रिपोर्ट- 23 • भूजल वर्ष पुस्तक- 23 • राज्य रिपोर्ट- 5 • राज्य एटलस- 2 • भूजल अन्वेषण रिपोर्ट- 18 • जिला भूजल पुस्तिका- के.भू.जल अकादमी द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास के सभी जिला नियमन • कृत्रिम पुर्नभरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं- 8	एक/दो वर्ष	• भूजल प्रबंधन अध्ययन 1.50 लाख वर्ग किमी. • भूजल अन्वेषण कूप- 800 • भूजल प्रक्षेपण कूपों का प्रबोधन- 15640 • 4 बार प्रबोधन • लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण - आवश्यकता आधारित (300) भौगोलिक सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस- 2200 एवं लाइन किमी = आ.आ. (ख) उप सतह बोर हाल लॉगिंग = आ.आ. • जल नमूनों का रासायनिक विश्लेषण- 20000 • जिला रिपोर्ट- 23 • भूजल वर्ष पुस्तक- 23 • राज्य रिपोर्ट- 5 • राज्य एटलस- 2 • भूजल अन्वेषण रिपोर्ट- 18 • जिला भूजल पुस्तिका- के.भू.जल अकादमी द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास के सभी जिला नियमन • कृत्रिम पुर्नभरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं- 8	

4	जल संसाधन विकास योजनाओं की छानबीन	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना	37.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी का कार्य जारी रहेगा ।	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है ।	(क) अरूणाचल प्रदेश में 10 जल विद्युत परियोजनाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई। (ख) आईएलआर परियोजनाओं की जांच पर कार्य जारी है । (ग) 31.12.2008 तक केन बेतवा लिंक की डीपीआर पूर्ण की गई। (घ) पार तापी नर्मदा तथा दमन गंगा पिंजल लिंक के डीपीआर के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर माहराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों ने अपनी स्वीकृति दे दी है तथा कार्य जनवरी, 2009 में आरंभ हो चुका है तथा 31.12.2011 तक पूर्ण करने की योजना है।	
5	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में अनुसंधान तथा विकास से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप तथा प्रशिक्षण शामिल है। यह क्रियाकलाप जलविज्ञानीय, हाइड्रोलिक, मृदा तथा सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों अर्थात् एनआईएच, सीडब्ल्यू एंड पीआरएस तथा सीएसएमआरएस तथा केजआ द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से सिंचाई प्रणाली की कुशलता में सुधार जल संसाधन परियोजनाओं कें जोखिम में कमी, परियोजना का किफायती डिजाइन तथा नई/सुधरी हुई प्रौद्योगिकी का विकास होगा।	60.00	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण तथा अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान संबंधी परिणाम सामान्यत: तकनीकी रिपोर्ट तथा अनुसंधान पत्रों के रूप में होता है जिनमें आयोजना तथा अभिकल्प के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिश होती है । मात्रात्मक सुपुर्दगियाँ निम्न हैं : (क) अनुसंधान रिपोर्ट-300 (ख) शोध पत्र-160 तथा (ग) प्रशिक्षण कार्यशाला-35	यह कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा पूरा किया जाना है ।	(i) रिपोर्ट तैयार करना - 461 (ii) शोध पत्र - 240 (iii) प्रशिक्षण एवं सेमिनार - 40	
6	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा आकस्मिक विद्युत उत्पादन	1.00	निर्माण पूर्व क्रियाकलाप जारी रहेंगें।	क्रियाकलाप ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।	असम सरकार द्वारा जिराट सर्वेक्षण पूर्ण न होने के कारण परियोजना के मुख्य निर्माण क्रियाकलाप आरंभ नहीं हुए है। कार्य रूक गया है। केवल परियोजना के लिए सृजित संपत्तियों का सामान्य नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य अल्प स्टाफ के द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा हैं।	

7	फरक्का बराज परियोजना	(i) फरक्का बराज परियोजना तथा फीडर नहर, जांगीपुर बराज आदि सहित इसके अनुषंगी ढांचे का अनुरक्षण (ii) गंगा नदी तथा इसकी वितरिकाओं की धारा को मुख्य बराज की ओर ले जाने के लिए तथा इसके तटों की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्य	75.00	(i) फरक्का बराज परियोजना तथा फीडर नहर, जांगीपुर बराज आदि सहित इसके अनुषंगी ढांचे का अनुरक्षण (ii) गंगा-पदमा नदी के किनारे भूमि, फसलों, बागों, सार्वजनिक भवनों को बचाने के लिए एफबीपी के 40 किमी प्रति प्रवाह से 80 किमी अनु प्रवाह तक के विस्तारित अधिकार क्षेत्र में कटाव नियंत्रण	फरक्का बराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित किया गया। पूरे वर्ष क्रियाकलाप जारी रहे।	(i) आवश्यकता के अनुसार गंगा-पदमा तथा इसकी वितरिकाओं के साथ फरक्का बराज, इसके अनुषंगी ढांचों तथा कटावरोधी कार्यों का अनुरक्षण (ii) 36 करोड़ रू. की लागत पर 4789 मी. की लंबाई में क्षरणरोधी कार्य पूरे किए गए।	
8	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।	1.00	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की जाएगी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मंत्रालय ने महानदी तथा गोदावरी नदियों के लिए आरबीओ के गठन के लिए संबंधित राज्यों को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले को संबंधित राज्यों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।	
9	बांध सुरक्षा अध्ययन तथा आयोजना	(i) केंद्रीय जल आयोग में उपकरण संग्रहालय (ii) 4 बेसिन तथा 6 क्षेत्रों के पीएमपी एटलसों का निर्माण तथा डिजिटीकरण (iii) पर्यावरण का विकास	1.60	(i) संग्रहालय के लिए मॉडल/फिक्सचर तथा उपकरणों का प्रतिस्थापन (ii) एचएसओ, केजआ में ढांचागत सुधार (iii) गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए एटलस का निर्माण (iv) पीएमपी एटलस का अद्यतन	मार्च, 2009	(1) पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए) अध्ययन पूर्ण कर लिए गए है। (2) मॉडल/फिक्सचर की खरीद प्रगति पर है।	

10	बाढ़ प्रबंधन	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकास, विकास, बाढ़ परीक्षण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना	649.00	(i) गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य दल-2004 द्वारा सुझाए गए अनुसार कटाव-रोधी कार्य, जल निकास सुधार कार्य, आदि। (iii) समुद्रतटीय राज्यों में तट कटाव कार्य । (iv) चयनित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में गाद हटाना / तलकर्षण	राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नए प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाता है ।	(I) 10 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 1182 करोड़ रुपये की राशि के कुल 53 प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया था। (ii) 561 करोड़ रूपये की निधि (X वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 39 करोड़ रूपये सहित) राज्यों को जारी की गई थी।	
11	अवसंरचना विकास	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सी डब्ल्यू सी और सी जी डब्ल्यू बी में आई टी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।	38.00	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण (iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आई टी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आई.टी. सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा।	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	उपभोज्यों एवं परिधीय का प्रबंध, आई टी उपकरण की ए एम सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार, सर्वर का प्रबंध, आई टी पहलुओं का प्रशिक्षण मंत्रालय (खास) और सी डब्ल्यू सी में पूरा कर लिया गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में सी डब्ल्यू सी के कार्यालय भवनों का कार्य पूरा कर लिया गया और इन भवनों को अधिकृत कर लिया गया है। बीबीएसएसआर में दीवार, गुवाहाटी में प्रभागीय कार्यशाला और भंडार निर्माण करने और के.भूजल बोर्ड के अहमदाबाद क्षेत्रीय और मंडलीय कार्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए निधि जारी कर दी गई है।	भूमि का अधिक्रहण और भवनों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने की आशंका है।

12	सूचना, शिक्षा एवं संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने और देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना। (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरूकता जगाना। (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाना। (iv)जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्वांतों को प्रात्साहित करना। (v)जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना। (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं प्रोत्साहन पद्वति के संबंध में जागरूकता फैलाना ।	13.00	लोगों में जागरूकता फैलाना, जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए शिक्षा देना।	क्रियाकलाप जारी है।	निम्नलिखित जनजागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई थी:- (1) दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों और एआईआर के विभिन्न स्टेशनों पर प्रसारण अभियान (2) वाल्मीज पर राष्ट्रीय चर्चा (3) आईआईटीएफ- 2008 में भागीदारी (4) भूमिजल संवर्धन पुरस्कारों का विज्ञापन (5) 6 लाख मेघदूत पोस्टकार्डों का मुद्रण (6) शिलांग में भारत विज्ञान कांग्रेस में भागीदारी (7) गुवाहाटी में असम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी (8) किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम पर डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार करना (9) विश्व जल दिवस- 2009 का विज्ञापन	

13	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	कमान/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव।	160.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी, और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना, रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बैराज के बांए एफलक्स बंध में दरार को भरना। (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य। (v) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा/ सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य।	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया।	(i)पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी। (ii)बाढ़ संबंधित आँकडे बंगलादेश को संप्रेषित। (iii) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी। (iv) माजूली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी। (v) नेपाल में पूर्वी एफ्लक्स बंध में कोसी दरार को बंद करने के लिए बिहार सरकार को 69.90 करोड़ रू. की राशि जारी की गई थी। बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान पश्चिमी तट की ओर जल को मोड़ने के लिए तथा तत्पश्चात 82.50 मी. की ऊँचाई तक दरार को भरने के लिए तीन काफर बांधों और एक डायवर्ज चैनल का निर्माण किया है।	नेपाल में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य में देरी हुई।
14	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/प्रवेशन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	2.30	27 प्रशिक्षण कार्यक्रम	वार्षिक प्रशिक्षण समय सूची तैयार की गई	27 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।	
15	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	भूजल संबंधी पहलुओं पर सी जी डब्ल्यू बी और अन्य केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण।	2.10	16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एक वर्ष	15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए और 308 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये।	भुजल अन्वेषण, विकास एवं प्रबंधन तकनीक और प्रशासनिक मामलों एवं प्रबंधन पक्षों में भी पेशेवरों और अर्द्धपेशेवरों की क्षमता निर्माण।

16	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सी डब्ल्यू सी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।	23.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान का मुद्दा लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई।	इस अवधि के दौरान कुल 6675 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए जिसमें से 6529 अनुमत्य सीमा तक शुद्ध है।	शून्य
17	जलनिकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी स्कीम	(i) जलनिकायों का पुनरूद्धार करना और उनकी क्षमता में वृद्धि करना (ii) उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना।	250.00	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की परियोजनाओं में क्रमश: 4 लाख हेक्टेयर, 2.5 लाख हेक्टेयर और 0.52 हेक्टेयर सीसीए शामिल होगा।	इस स्कीम के कार्य के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।	तमिलनाडु सरकार ने 2000 स्कीमें प्रारंभ की हैं और परियोजना के लिए 181.8 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1000 स्कीमें प्रारंभ की है और परियोजना के लिए 41.9 करोड़ रू. की राशि जारी की गई हैं। कर्नाटक सरकार ने 300 स्कीमें प्रारंभ की है और परियोजना के लिए 9.3 करोड़ रू. की राशि जारी की गई। उड़ीसा की परियोजना मार्च, 2009 से प्रभावी है।	

अनुलग्नक-II

जल संसाधन मंत्रालय
2009-2010 के दौरान कार्य निष्पादन (दिसम्बर, 2009 तक)

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/ समय सीमा	दिनांक 31.12.2009 को कॉलम(5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र जल संसाधन आकलन के लिए प्रेक्षण के-द्रों के नेटवर्क से आंकड़ा एकत्र करने और इसकी विशेषताओं के लिए इसका विश्लेषण करना (ii) लघु सिंचाई गणना के माध्यम से लघु सिंचाई, संबंधी सूचना एकत्र करना (iii) अवसंरचना स्थापित करना और जल संसाधन सूचना प्रणाली प्रारंभ करना	70.00	(i) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों पर प्रेक्षण का कार्य जारी है (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (iii) लघु सिंचाई गणना संबंधी गतिविधियां जारी हैं	पूरे वर्ष तक गतिविधियाँ जारी करना	(i) वर्ष 2009 के दौरान भारत की जल संसाधन सूचना प्रणाली की वेबसाइट प्रारंभ की गई। जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास आईएसआर ओ-डी और एस के सहयोग से प्रगति पर है। (ii) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी है । (iii) एआईबीपी द्वारा सहायता प्राप्त वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के दूर संवेदी मानीटरी पर एनआरएसए से 52 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की गयीं । (iv) डब्ल्यूक्यूएए की सातवीं बैंठक नवम्बर, 2009 में आयोजित की गई थी । (v) लघु सिंचाई के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्ररूप से 98.7% क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें से 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 100% क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया	

						है । इसी प्रकार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 79% आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया है जिसमें से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 100% आँकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया गया है ।	
2.	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं। ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, जल शक्ति विज्ञान, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एन आई एच, सी डब्ल्यू एण्ड पी आर एस, और सी एस एम आर एस और सी डब्ल्यू सी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत विशिष्ट अनुसंधान/ अध्ययन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है । जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न राज्यों और शैक्षाकि संस्थानों में स्थित बाल्मिसों को अनुसंधान अध्ययनों में भी सहायता प्रदान की जाती है ।	52.00	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी। अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एंव डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें और शोध पत्रों के रूप में होते हैं।मात्रात्मक सुपुर्दगियाँ हैं: क) अनुसंधान रिपोर्टें=300 ख) शोध पत्र= 250 ग) प्रशिक्षण कार्यशाला = 20	कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। शोध पत्र- 207 प्रशिक्षण और कार्यशाला-16	अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टे-143 शोध पत्र- 207 प्रशिक्षण और कार्यशाला-16	

3..	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/प्रवेशन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	2.60	42 प्रशिक्षण कार्यक्रम	वार्षिक प्रशिक्षण की समय सूची तैयार की गई	दिसम्बर, 2009 तक 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।	
4.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(i) सी डब्ल्यू सी में यंत्रीकरण (ii) 4 बेसिनों और 6 क्षेत्रों के पी एम पी एटलसों को तैयार करना और इनका डिजिटाइजेशन (iii) 10 मौजूदा परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन के जरिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क का विकास (iv) कुछ मौजूदा परियोजनाओं का खतरा विश्लेषण और अन्य विशिष्ट अध्ययन (v) बांध सुरक्षा गतिविधियों पर विशेष प्रयोजन पैकेजों का प्रशिक्षण और विकास	1.00	(i) बांध सुरक्षा के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना- 3/2010 (ii) सामान्य पीएमपी एटलस तैयार करना और उनको अद्यतन करना तथा डिजिटीकरण- 3/2010 (iii)मॉडल/फिक्सचरों की संस्थापना और संग्रहालय के लिए यंत्रीकरण 3/2010	प्रत्येक मदों सहित कॉलम 5 में उल्लेख है ।	i. मौजूदा परियोजनाओं के बांध सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और यंत्रीकरण और जलवैज्ञानिक समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है । ii. सामान्य पीएमपी एटलस तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है -इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है	
5	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी संभावित प्रयोक्ता द्वारा जल सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना	38.10	(क)जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली में एचपी-I क्रियाकलापों के सुदृढ़ीकरण और लंबवत विस्तार के लिए 4 परामर्शियों को लगाना (ख) परियोजना कार्या-न्वयन अभिकरणों में परियोजना घटकों, जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण, लंबवत विस्तार और	(क) 4 प्रमुख परामर्शी कार्य शुरू करने वाले हैं (ख) परियोजना घटकों का कार्यान्वयन 2012 तक कर लिया जाएगा। (ग) मध्यावधि परियोजना प्रारंभ करना	(क) 4 प्रमुख परामर्शी कार्य सौंप दिया गया और वे कार्य कर रहे हैं । (ख) जल वैज्ञानिक परियोजना चरण-।। के सिंचाई मूल्यांकन के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रयोजन मूलक अध्ययन	

				क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन। इन क्रियाकलापों को केंद्रीय अभिकरणों जैसे सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।		संबंधी प्रस्तावों को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। (ग) अक्तूबर, 2009 में मध्यावधि समीक्षा की गई ।	
		(vi)					
6.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना	42.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी का कार्य जारी रहेगा ।	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है।	क) अरूणाचल प्रदेश में 10 एच ई परियोजनाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ख) आई एल आर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं का अन्वेषण संबंधी कार्य जारी हैं। आईएलआर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं का अन्वेषा कार्य जारी है । पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा-पिंजाल संपर्कों की डीपीआर तैयार की जा रही है । (घ) एनपीपी के हिमालयी घटक के अन्तर्गत 5 संपर्कों के संबंध में एफआर तैयार करने के लिए भारतीय क्षेत्र में एस और आई कार्य पूरे कर लिए गए हैं । (ङ) 3 अन्त:राज्य संपर्कों के पीएफआर पूरे कर लिए गए हैं ।	
7.	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण , सिंचाई एवं अकस्मात विद्युत सृजन	0_50	जिराट सर्वेक्षा के पूरा न होने के कारण परियोजना को अभी शुरू करना है । निर्माण पूर्व क्रियाकलाप जारी रहेंगे ।	क्रियाकलाप ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किये जाने है।	परियोजना का मुख्य निर्माण क्रियाकलाप असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण पूरा नहीं किये जाने के कारण शुरू नहीं हुआ है एवं कार्य रूका हुआ है। केवल	

						परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों के लिए आर एंव एम कार्य अपूर्ण स्टाफ द्वारा जारी रखे जा रहे हैं।	
8.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकारण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।	1.00	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की जाएगी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आर बी ओ के गठन के प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है	
9.	अवसंरचना विकास	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सी डब्ल्यू सी और सी जी डब्ल्यू बी में आई टी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।	15.00	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण (iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आई टी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आई.टी. सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा।	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	उपभोज्यों एवं परिधीय का प्रबंध, आई टी उपकरण की ए एम सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार, सर्वर का प्रबंध, आई टी पहलुओं का प्रशिक्षण मंत्रालय (खास) और सी डब्ल्यू सी में पूरा कर लिया गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में सी डब्ल्यू सी के कार्यालय भवनों का कार्य पूरा कर लिया गया था और इन भवनों को अधिकृत कर लिया गया है। बंगलौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल और अंबाला में हिन्दी भूजल बोर्ड के भवन का निर्माण कर लिया गया है ।	भूमि का अधिक्रहण और भवनों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने का डर है।

10.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सी डब्ल्यू सी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।	25.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान का मुद्दा लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई।	इस अवधि के दौरान कुल 3991 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए ।	शून्य
11.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्व संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य	70.00	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबंद्व संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा पदमा नदी के साथ साथ भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 किमी0 प्रतिप्रवाह से 80 किमी0 अनुप्रवाह तक एफ बी पी के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र में कटाव नियंत्रण	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित क्रियाकलाप वर्ष भर जारी।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्व संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पदमा नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए। (ii) 2883 मी की लंबाई में 46 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किये गए।	
12.	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	कमान/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव।	199.30	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी, और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना, रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बैराज के बांए एफलक्स बंध में दरार को भरना। (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य। (v) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा/ सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य।	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया।	(i)पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी। (ii)बाढ़ संबंधित आँकडे बंगलादेश को संप्रेषित। (iii) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी। (iv) माजूली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी। (v) कोसी तटबंध की दरारों को भरने का कार्य पूरा किया गया । इस कार्य के लिए बिहार	नेपाल में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य में देरी हुई।

						सरकार को 28.35 करोड़ रूपये दिए गए । (vi) बंगलादेश सीमा पर बाढ़ सुरक्षा के लिए त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को क्रमश: 12.51 और 8.77 करोड़ रूपये जारी किए गए ।	
13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकास, विकास, बाढ़ परीक्षण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना	900.00	(i) गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य दल-2004 द्वारा सुझाए गए अनुसार कटाव-रोधी कार्य, जल निकास सुधार कार्य, आदि। (iii) समुद्रतटीय राज्यों में तट कटाव कार्य । (iv) चयनित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में गाद हटाना / तलकर्षण	राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नए प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाता है ।	(i) 10 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 768 करोड़ रुपये की राशि के कुल 26 प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया था। (ii) 237 करोड़ रूपये की निधि (X वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 1.3 करोड़ रूपये सहित) राज्यों को जारी की गई थी।	
14.	भूजल प्रबंधन और नियमन	(i) भूजल प्रबंधन की योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन (ii) भूजल उपयोगी क्षेत्र खोजने के लिए ड्रिलिंग की सहायता से वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर संवेदी यंत्र एवं जी आई एस, भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण (iii) भूजल मानीटरिंग केन्द्रों से भूजल स्तर की मानीटरिंग (iv) केन्द्र/राज्य सरकार के	82.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग किमी. • *भूजल अन्वेषण-830 कुएँ • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण-796 • *भूजल प्रेक्षण कुओं की मानीटरिंग-15640 4 बार मानीटरिंग • *लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण-आवश्यकता आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण (क) सतह वी ई एस=2000 एंव लाइन किमी.=एन बी (ख) उपसतह	एक वर्ष एक वर्ष वर्ष में चार बार एक वर्ष	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.52 लाख वर्ग किमी. मानसून पूर्व, 82843 वर्ग किमी. मानसून बाढ़ 495 कुएं मई और अगस्त, नवम्बर, 2009 की मानीटरिंग पूरी कर ली गई है । 80	

		विभागों के प्राप्त स्त्रोतों के लिए अल्पकालीन जल आपूर्ति अन्वेषण (v) भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थल का चयन करने और जलभृत खोजने के लिए भूभौतीकीय अध्ययन (vi) भूजल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन(VII) आयोजकों एंव प्रशासकों द्वारा उपयोग के लिए रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना। (VIII) केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा भूजल विकास का नियमन (IX) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण करने के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना		बोर होल लोगिंग =आवश्यकता आधारित • *जल नमूनों का रसायनिक विश्लेषण -20000 नमूने • *जिला रिपोर्टें -40 • भूलल वार्षिक पुस्तकें= 23 • *राज्य रिपोर्टें=7 • *राज्य एटलस-3 • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-17 • राज्य भूभौतिकी रिपोर्टें -18 • राज्य रासायनिक रिपोर्टें-18 केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का नियमन 5 राज्यों (पंजाब, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में कत्रिम पुनर्भरण अध्ययन के लिए 8 प्रदर्शनात्मक परियोजना	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष 2-3 वर्ष	भभौतिकीय सर्वेक्षण : वीईएस = 725 प्रोफाइल = 1.04 एलकेएम बोरहोल लॉगिंग = 64 जल नमूनों का विश्लेषण-11997 5 जिला रिर्पोटें तैयार कर ली गई है और शेष का कार्य प्रगति पर है । 12 भूजल वार्षिक पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं । कार्य प्रगति पर है । जारी की गई -1 शेष का कार्य प्रगति पर है । कार्य प्रगति पर है ।	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	भूजल संबंधी पहलुओं पर सी जी डब्ल्यू बी और अन्य केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण।	2.00	16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एक वर्ष	10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए और 199 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये।	भुजल अन्वेषण, विकास एवं प्रबंधन तकनीक और प्रशासनिक मामलों एवं प्रबंधन पक्षों में भी पेशेवरों और अर्द्वपेशेवरों की क्षमता निर्माण।
16.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी	12.00	लोगों में जागरूकता फैलाना, जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए शिक्षा देना।	क्रियाकलाप जारी है।	1.जल बचाओं आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के प्रयोजन से स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकत	

		दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने और देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना। (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरूकता जगाना। (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाना। (iv)जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्वांतों को प्रात्साहित करना। (v)जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता				दिवस और पाँचे एशियन रिजनल कांफ्रेंस के अवसर पर मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों/ प्रगति को दर्शाते हुए वर्षा जल संचयन के संबंध में जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एसएआर इकनोमिस्ट और सर्वे आफ इन्वायरमेंट 2009 पत्रिका तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देना । 2. जल संरक्षण के संबंध में दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों और एआरआई के विभिन्न स्टेशनों द्वारा प्रसारण । 3.एएसओएम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गुवाहाटी, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली और थीम्पू भूटान व्यापार मेले में भागीदारी । 4. केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड और एनआईएच के माध्यम से आईसीसी स्कीम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन । 5.अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले-2009 में नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन/प्रश्नोत्तरी का आयोजन तथा स्टीकर, पेम्फलेट का वितरण । 6.नई दिल्ली में प्रधान सचिवों/वालमिजो के सम्मेलन का आयोजन ।	

		फैलाना। (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं प्रोत्साहन पद्वति के संबंध में जागरूकता फैलाना ।				7.केन्द्रीय भूजल के माध्यम से जल संसाधन दिवस का आयोजन । 8.जल संसाधन मंत्रालय दिल्ली में दूरसंवेदन कार्यशाला का आयोजन । 9.कारगिल/गंगटोक और जोधपुर में सैन्य बलों के लाभ के लिए जल संरक्षण, कृत्रिम पुन:भरण और जल प्रयोग दक्षता में सुधार संबंधी कार्यनीतियों पर कार्यशाला का आयोजन । 10.श्रम शक्ति भवन के मुख्य द्वार पर जल संरक्षण के संबंध में क्या करें और क्या न करें, को दर्शाने वाला बैकलिट ट्रांसलाइट लगाना ।	
17.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्वार संबंधी स्कीम	जल निकायों की भण्डारण क्षमता का पुनरूद्धार ओर संवर्धन करना और उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना तथा उनमें विस्तार करना, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक गतिविधियाँ/ पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि करना।	399 करोड़ रूपये (ईएपी के तहत 199 करोड़ और घरेलू सहायता के तहत 200 करोड़)	इस स्कीम के तहत 4 लाख हेक्टेयर की कृष्य कमान क्षेत्र वाली 5763 जल निकायों के पुनरूद्धार के लिए 485 मिलियन अमेरिकी डालर हेतु तमिलनाडु के साथ विश्व बैंक के ऋण पर समझौता किया गया है । तमिलनाडु ने वर्ष 2007-08 में 50 जल निकायों पर कार्य प्रारंभ किया है , 2008-09 में 1103 निकायों और चालू वर्ष के दौरान 848 जल निकायों पर कार्य प्रारंभ किया है । अब तक 922 जल निकायों का कार्य पूरा कर लिया गया है । 2.5 लाख हेक्टेयर की कृष्य कमान क्षेत्र वाली 3000 जल निकायों के	ये स्कीमें जारी हैं ।	इस कार्यक्रम के विस्तार से भूजल पुनर्भरण में वृद्धि, कृषि/ हाल्टीकल्चर की उत्पादकता में सुधार और पर्यटन के विकास/ सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि की योजना है ।	

				पुनरूद्धार के लिए जून, 2007 में 189 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 1500 जल निकायों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त 1160 जल निकायों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है । 112 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए उड़ीसा के साथ तथा 0.52 लाख कृष्य कमान क्षेत्र वाली 1224 जल निकायों के पुनरूद्धार के लिए कर्नाटक परियोजना पर विश्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । वर्ष 2009-10 के दौरान उड़ीसा और कर्नाटक सरकारों ने क्रमश: 67 जल निकायों और 1160 जल निकायों में कार्य प्रारंभ कर दिया है । सहायता सामग्री / परामर्शी सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण उड़ीसा परियोजना की प्रगति में विलंब हो रहा है ।			

अनुलग्नक-III

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना

राज्यों को कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में थीं, को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996-97 के दौरान शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और उड़ीसा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) उपलब्ध कराई गई है। अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की तरह अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान घटक को लाया गया है। दिसंबर, 2006 से प्रभावी वर्तमान ए आई बी पी मानदंडों के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% तक अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों (उड़ीसा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों सहित) में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% तक अनुदान चयनित परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों में आने वाली गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को विशेष श्रेणी राज्यों की स्कीमों के समान माना जाता है और इन्हें परियोजना लागत का 90% तक अनुदान जारी किया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाऐं भी परियोजना लागत का 90% तक अनुदान पाने के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से 01.02.2010 तक राज्य सरकारों को 275 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 10316 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत सी एल ए/अनुदान के रूप में 38898.8018 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक 110 वृहद/मध्यम और 6959 लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2009 तक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.486 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 0.454 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

ए आई बी पी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शामिल परियोजनाओं और राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को ए आई बी पी के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के एक अनुपात एक के मानदंडों में छूट देते हुए ए आई बी पी में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरूआती तौर पर शामिल की गई 65 वृहद/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 38 परियोजनाएं ए आई बी पी के अंतर्गत वित्तपोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी किया गया अनुदान 4509.422 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2009-10 के लिए वित्त मंत्रालय ने 8000 करोड़ रू. का बजट आबंटन एआईबीपी के लिए किया है जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ शामिल है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्न चयन मानदंडों में आने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को परियोजना लागत के 90% की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देने पर अपनी सहमति दे दी है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग एक संधि के तहत होता है अथवा जहां परियोजना की आयोजना और इसे शीघ्र पूरा करना देश के हित में आवश्यक है।

(ii) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो कि नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित लागत में हिस्सेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि संबंधी अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान ना होने के कारण लंबी खिंच रही हैं।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंत:राज्यीय परियोजनाएं और जहां जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जलविज्ञान स्थापित है।

जल संसाधन मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण की रीतियों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम के अंतर्गत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत 450 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान जारी किया गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय परियोजना के तहत वित्तपोषण के लिए गोसीखुर्द परियोजना के लिए 720 करोड़ रू. का अनुदान जारी किया गया है।

अनुलग्नक -IV

XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XI वीं योजना परिव्यय	लेखों के शीर्ष	ब.प्रा. 2007-08	वास्तविक 2007-08	ब.प्रा. 2008-09	वास्तविक 2008-09	ब.प्रा. 2009-10	सं.प्रा. 2009-10	ब.प्रा. 2010-11
वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	**15.00**	**2701**	2.00	1.86	2.30	2.37	2.60	2.60	4.00
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	**260.00**	**2701**	30.00	33.28	60.00	39.81	52.00	35.00	54.00
3. जल विज्ञान परियोजना	**180.00**	**2701**	33.00	6.98	44.00	9.92	38.10	25.10	53.00
4. जल संसाधन सूचना का विकास	**200.00**	**2701**	30.00	18.65	46.00	45.58	70.00	70.00	66.00
5. अवसंरचना विकास	**	**2701**	4.00	1.33	5.00	2.06	1.00	1.00	3.00
6. जल संसाधन विकास का अन्वेषण	**260.00**	**2701**	30.00	25.09	37.00	36.17	42.00	42.00	54.00
7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	**90.00**	**2701**	2.00	1.32	13.00	9.08	12.00	12.00	15.00
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	**10.00**	**2701**	1.00	0.48	1.60	0.80	1.00	1.00	1.50
9. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	**50.00**	**2701**	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50
कुल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**1065.00**		**132.50**	**88.99**	**209.90**	**145.79**	**219.20**	**189.20**	**251.00**
लघु सिंचाई									
सतही जल स्कीम									
10. भूजल प्रबंधन एवं नियमन	**460.00**	**2702**	62.00	48.11	95.00	54.37	70.00	70.00	100.00
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एवं आरआई	**25.00**	**2702**	1.50	0.60	2.10	0.64	2.00	2.00	6.00
12. अवसंरचना विकास	**	**4702**	4.55	1.27	7.00	2.07	4.50	4.50	10.50
कुल : लघु सिंचाई	**485.00**		**68.05**	**49.98**	**104.10**	**57.08**	**76.50**	**76.50**	**116.50**
13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**$$**	**2705**	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल : सीएडी एवं डब्ल्यूएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र									
14. बाढ़ पूर्वानुमान	**130.00**	**2711**	16.00	13.91	23.00	13.68	25.00	20.00	36.00
15. अवसंरचना विकास	**	**4711**	3.45	1.54	26.00	6.56	9.50	9.50	15.00
16. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	**601.00**	**2711**	46.00	51.44	160.00	176.09	199.30	174.30	199.00
17. पगलादिया बांध परियोजना	**500.00**	**2552**	1.00	1.35	2.00	0.00	0.50	0.50	0.50
कुल: बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र	**1231.00**		**66.45**	**68.24**	**211.00**	**196.33**	**234.30**	**204.30**	**250.50**
परिवहन क्षेत्र									
18. फरक्का बैराज परियोजना	**350.00**	**5075**	33.00	30.99	75.00	54.03	70.00	70.00	82.00
** XIवीं योजना के लिए कुल आवंटन	**115.00**								
$$ इस स्कीम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है ।									
कुल जोड़	**3246.00**		**600.00**	**516.04**	**600.00**	**453.23**	**600.00**	**540.00**	**700.00**